(4)

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
पत्रांक- /

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार,पटना।

मधेपुरा, दिनांक- नवम्बर,2014

विषय- समाचार पत्रों में निविदा सूचना का प्रकाशन कराये जाने के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त बिषयक संदर्भ में कहना है कि मधेपुरा जिलार्न्तत जिला समाहरणालय में पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण करने के निमित विभागीय पुस्तकों के क्रय के लिये सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचना सामग्री सी0डी0सहित भेजी जा रही है,जिसे दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-1605/सा0,मधेपुरा दिनांक-27 नवम्बर,2014

प्रतिलिपि-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि आपूर्ति कर्त्ता से पुस्तकों की आपूर्ति किए जाने के पश्चात् अपने विभागीय पुस्तकालय में ही इन पुस्तकों को तत्काल रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि-जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को अपर मिशन निदेशक के पत्रांक-22 दिनांक-03/01/2012 से प्राप्त पुस्तकों की सूची जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित साथ ही सम्बंधितों को ईमेल करने हेतु भी प्रेषित।

प्रतिलिपि-आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा/अपर मिशन निदेशक,बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग)बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/11/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
<u>निविदा सूचना</u>

अपर मिशन निदेशक,बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-218 दिनांक-19/04/2011 के आलोक में जिला समाहरणालयों में पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु मधेपुरा जिला के लिये पुस्तकों की खरीद की जानी है। इसके लिये निम्नांकित शर्त्तों के अधीन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से पुस्तक क्रय हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दाखिल की अंतिम तिथि-20/12/2014 को 2.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा तथा उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में 3.00 बजे अपराह्न में खोली जायेगी,जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

1. पुस्तक का क्रय प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से क्रय किया जायेगा।
2. निविदादाता को बिक्री कर/वैट,निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन सफाई प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा।
3. आयकर पैन तथा अद्यतन कर अदायगी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा।
4. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत जारी अनुज्ञप्ति की छायाप्रति सलंग्न करना होगा।
5. तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग दाखिल करना होगा। तकनीकि निविदा के स्वीकृति के उपरांत ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
6. निविदादाता को जिलाधिकारी के पदनाम से मो0-10,000/-(दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफट अग्रधन के रूप में सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित <u>मापदंड/गुणवता,मात्रा</u> एवं दर के अनुरूप करनी होगी अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जायेगी।
9. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता को मांग आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर गुणवत्ता युक्त एवं मात्रानुसार सामगी कार्यालय में पहुँचाकर आपूर्ति करना होगा जिसके लिये अलग से कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगी।
10. निविदत्त पुस्तकों की सूची वेवसाईट http://madhepura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है अथवा कार्यालय अवधि में जिला सामान्य शाखा,मधेपुरा से प्राप्त किया जा सकता है।विस्तृत जानकारी के लिये www.probihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

ह0
27/11/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।